रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022025-261204
CG-DL-E-21022025-261204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946
No. 916]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

का.आ. 924(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 10 फरवरी, 2015 के का.आ. 423 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में मद (iii), मद (xiv), मद (xxii) एवं मद (xxv) में विनिर्दिष्ट खनिजों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम.VI-16/7/2024-खान VI-भाग (2)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 10 फरवरी, 2015 को संख्याक का.आ. 423 (अ) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2025

S.O. 924 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Mines, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 423(E), dated the 10th February, 2015, namely:—

In the said notification, minerals specified in items (iii), (xiv), (xxii) and (xxv) shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M.VI-16/7/2024-Mines VI-Part(2)]
DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note.– The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 423(E), dated the 10th February, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.21 11:17:53 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936
No. 333] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

का.आ. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना द्वारा पहले से ही खनिज घोषित खनिजों के अतिरिक्त निम्नलिखित खनिजों को इससे पूर्व उक्त खंड के अधीन गौण खनिज घोषित करती है :

(i) अगेट ;

(ii) बॉल क्ले

(iii) बैराइट्स

(iv) कैल्केरियस सैण्ड ;

(v) कैल्साइट ;

(vi) चॉक ;

(vii) चिनी मिट्टी ;

(viii) अन्य क्ले ;

(ix) कोरण्डम ;

(x) डायस्पोर ;

(xi) डोलोमाइट ;

(xii) ड्रानाइट अथवा पायरोसेनाइट ;

(xiii) फेलसाइट ;

(xiv) फेल्सपार ;

(xv) अग्निसह मृत्तिका ;

(xvi) फुस्काइट क्वार्टजाइट;

(xvii) जिप्सम ;

(xviii) जस्पर ;

(xix) कयोलिन ;

(xx) लेटेराइट ;

(xxi) चूना कंकड़ ;

(xxii) अभ्रक ;

(xxiii) ऑकर ;

(xxiv) पाइरोफाइलाइट ;

(xxv) क्वार्टज ;

(xxvi) क्वार्टजाइट ;

(xxvii) बालू (अन्य) ;

(xxviii) शेल ;

(xix) सिलिका बालू ;

(xxx) स्लेट ; और

(xxxi) स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन ;

[फा. सं. 5/1/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2015

S.O. 423(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby declares the following minerals to be minor minerals in addition to the minerals already declared by notification as minor minerals hereinbefore under the said clause:

(i) Agate;

(ii) Ball Clay;

(iii) Barytes;

(iv) Calcareous Sand;

(v) Calcite;

(vi) Chalk;

(vii) China Clay;

(viii) Clay (Others);

(ix) Corundum;

(x) Diaspore;

(xi) Dolomite;

(xii) Dunite or pyroxenite;

(xiii) Felsite;

(xiv) Felspar;

(xv) Fireclay;

(xvi) Fuschite Quartzite;

(xvii) Gypsum;

(xviii) Jasper;

(xix) Kaolin;

(xx) Laterite;

(xxi) Limekankar;

(xxii) Mica;

(xxiii) Ochre;

(xxiv) Pyrophyllite;

(xxv) Quartz;

(xxvi) Quartzite;

(xxvii) Sand (Others);

(xxviii) Shale;

(xxix) Silica Sand;

(xxx) Slate; and

(xxxi) Steatite or Talc or Soapstone.

[F. No. 5/1/2015-M. VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.